



## बिहार की राजनीति में आम मुस्लिम मतदाताओं की वस्तुस्थिति

डॉ० सुधा कुमारी (अतिथि शिक्षक),

राजनीतिक विज्ञान विभाग,

हरहर साहा महाविद्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा

भारत में मुस्लिमों की अधिकांश आबादी अशिक्षित, पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बिहार जहां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद सबसे अधिक मुस्लिम निवास (बिहार के कुल जनसंख्या का 16.56 प्रतिशत) करते हैं की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। उन्हें एक ओर संप्रदायिक उन्मादों, बेरोजगारी—गरीबी आदि की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर अशिक्षा, बेतहासा बढ़ती जनसंख्या, पूर्वाग्रह, विधायिका और सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी की नागण्यता आदि के चलते अभाव, गरीबी और दोगम दर्जे के रूप में जीवनयापन करते हुए देखा जा सकता है। यद्यपि मुस्लिम समाज में भी शिक्षित, नेता, बुद्धिजीवी—मध्यमवर्ग और हर तरह के सुख—सुविधाओं से सम्पन्न लोग हैं, परंतु ऐसे लोगों का औसत कम है। ये मुस्लिम संपन्न वर्ग भले ही इस्लाम के नाम पर धार्मिक रूप से दान आदि में सक्रिय भागीदारी करते हों पर सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रायः उदासीन ही दिखता है। लोकतंत्र में चुनाव व सक्रिय भागेदारी बहुत बड़ा अस्त्र होता है, परंतु दुर्भाग्य है कि विधायिका में उनकी भागीदारी आबादी के हिसाब से कम है। प्रायः राजनीतिक पार्टियां उसे वोट बैंक के रूप में प्रयोग करती रही हैं। चुनावी दौर में अब मुस्लिम वोटों पर सभी राजनीतिक दल विशेष चुनावी रणनीति बनाते हैं। वस्तुस्थिति है कि चुनाव के समय अन्य राज्यों के भांति बिहार में भी सभी राजनीतिक दलों को मुसलमानों की पसंद—नापसंद की चिंता सताने लगती है। और तो और, मुस्लिम विरोधी समझी जाने वाली भाजपा भी चुनाव के समय मुसलमानों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अपने चिर परिचित फार्मूले की



दुहाई देने लगती है। चुनाव के समय प्रायः यह देखा जाता है कि अलग-अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दल एक ही सुर में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार के गीत गाने लगते हैं, लेकिन जब उनकी राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए संसद एवं राज्य विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने का मौका आता है, तब सब बगलें झांकने लगते हैं। विधायी संस्थानों में संसद या राज्य विधानसभा, मुस्लिम रहनुमाओं की लगातार घटती हुई संख्या को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक साजिश की संज्ञा देते हुए मुस्लिम समुदाय का प्रबुद्ध तबका इसके लिए स्वार्थवादी राजनीतिक दलों से ज्यादा जिम्मेदार स्वयं मुसलमानों को ही मानता है। मुसलमानों के प्रति राजनीतिक दलों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संसद की 131 और विधानसभा की 1146 सीटें पहले ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं और उनमें भी अनुसूचित जाति का एक बड़ा हिस्सा है। अब महिला आरक्षण विधेयक के जरिए भी सीटें आरक्षित कर देने की पूरी तैयारी है। कहने को तो महिलाओं का आरक्षण सामान्य होगा और इसमें हर वर्ग की महिलाओं के लिए भाग्य आजमाने का समान अवसर होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे अनुसूचित जाति या फिर पहले से ही राजनीति में कदम जमाए बैठी उच्च जाति की महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। मुसलमान पुरुष ही जब आबादी के अनुपात में चुनकर नहीं आ पाते हैं तो मुस्लिम महिलाएं संसद या राज्य विधानसभाओं में प्रवेश कैसे कर पाएंगी। महिला आरक्षण के बाद मुस्लिम पुरुषों के लिए भी मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा हो जाएगा। शेष अनारक्षित 50 प्रतिशत सीटों पर ही मुस्लिम उम्मीदवारों को भाग्य आजमाने का अवसर मिल सकेगा। राज्य विधानसभा की 243 सीटों में से कई दर्जन सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करने की स्थिति में हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ ही सीटों पर मुसलमान चुनाव जीत सकेंगे। इनमें से कुछ सीटें मुसलमानों की आंतरिक कलह का शिकार हो जाती है। जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की स्थिति निर्णायक है, उनमें से कई पहले से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसी सीटों में राजनगर, बनमनखी, कुशेश्वरस्थान, शकरा, बोचहां, मनिहारी,



पीरपैती, धोरैया और इमामगंज आदि शामिल हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों का तो आरक्षण भी समझ से परे है। जैसे मनिहारी क्षेत्र में 47,000 मुस्लिम मतदाताओं के मुकाबले मात्र 13 हजार दलित मतदाता हैं, मगर यह सीट दलितों के लिए आरक्षित है। इसी तरह पीरपैती में 39,000 मुसलमानों के मुकाबले में 24 हजार की आबादी वाले दलितों के लिए सीट आरक्षित है। धोरैया में भी 32 हजार दलित और 45,000 मुस्लिम हैं, मगर यह सीट भी दलितों के लिए आरक्षित है। ऐसे क्षेत्रों में कोचाधामन (अमौर) सबसे ऊपर है, वहां मुस्लिम मतदाता 74 प्रतिशत हैं। इसी तरह बलरामपुर में 65 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं। पुराने विधानसभा क्षेत्र अमौर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 59 प्रतिशत थी। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, अररिया, प्राणपुर, कोढ़ा एवं बरारी निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। आरक्षित सीट मनिहारी में भी मुस्लिम मतदाता 41 प्रतिशत हैं। पश्चिमी चंपारण के सिकटा, हरसिद्धि (आरक्षित) और सुपौल में 24 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं। मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में 36 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं, जबकि राजनगर क्षेत्र में मुसलमान 27 प्रतिशत हैं। सीतामढ़ी जिले के परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी एवं सीतामढ़ी निर्वाचन क्षेत्र में 18 से 32 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं। बरारी में 31 प्रतिशत, कोढ़ा में 33 प्रतिशत मुसलमान हैं। गौड़ाबौराम (दरभंगा) ग्रामीण क्षेत्र, अलीनगर, बेनीपुर, जाले, हयाघाट एवं केवटी आदि में 22 से 32 प्रतिशत मुस्लिम हैं। बिरौल में 23 प्रतिशत, हथुआ में 19 प्रतिशत, सीवान, रघुनाथपुर और बड़हरिया में 30 प्रतिशत, धोरैया (बांका) में 19 प्रतिशत, बिहार शरीफ में 26 प्रतिशत और गया शहरी क्षेत्र में 27 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं। इन क्षेत्रों में अगर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से कुछ मुस्लिम उम्मीदवार उतारे भी गए तो उनकी जीत के रास्ते में खुद मुसलमान आड़े आ जाएंगे। पहले तो प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल ही मुस्लिम उम्मीदवार के मुकाबले मुस्लिम उम्मीदवार उतार देंगे और रही सही कसर मुसलमानों का आपसी भितरघात पूरा कर देगा। एक मुस्लिम उम्मीदवार को हराने के लिए 10-10 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतर आएंगे। किसी राजनीतिक दल से टिकट नहीं मिलेगा तो स्वतंत्र ही सही। इस तरह मुस्लिम वोट टुकड़ों में बंट जाएंगे। जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की स्थिति निर्णायक है, वहां से भी मुस्लिम



उम्मीदवार हार जाएंगे। निश्चित रूप से कुछ मुस्लिम उम्मीदवार ऐसे भी चुनाव में उतरेंगे या उतारे जाएंगे, जिनका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं, बल्कि चुनाव जीतने वाले किसी दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार को हराना होगा। आंकड़े बताते हैं कि 1952 से 2005 तक सिर्फ 294 मुसलमान बिहार विधानसभा पहुंचे और उनका प्रतिनिधित्व 5 से 10 प्रतिशत के बीच रहा। यह 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का रिकॉर्ड भी 1985 में बना था। पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 16 मुसलमान चुने गए थे। इस प्रकार आज यह अनुपात 6.58 प्रतिशत है। ठीक इसी तरह 1952 से 2009 तक बिहार से मात्र 54 मुसलमान संसद पहुंचने में कामयाब रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में केवल 3 मुसलमान चुने गए थे। 1995 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर 103 मुसलमानों को टिकट दिया था, उनमें से मात्र 15 जीत सके और एक निर्दलीय मिलाकर यह तादाद 16 हो गई। बाद में एक सदस्य मुबारक हुसैन की मृत्यु के बाद यह संख्या घटकर फिर 15 हो गई।

मुस्लिम समुदाय के बारे में एक आम धारणा यह है कि चुनाव के समय उसी दल या उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं, जो उनकी धार्मिक एवं सामुदायिक अस्मिता की सुरक्षा की गारंटी लेता है। वोट का फैसला बुद्धिजीवियों द्वारा लिया जाता है और फैसले का अनुपालन हर एक मुसलमान पर लाजिमी होता है। इसी धारणा के आधार पर मुस्लिम वोट बैंक जैसे शब्द वजूद में आए। उक्त शब्द अपने-अपने ढंग से सभी राजनीतिक दलों द्वारा खूब इस्तेमाल होते हैं। चुनाव के नतीजे का पूर्वानुमान भी प्रायः इसी धारणा के आधार पर लगाया जाता है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। मुसलमानों के बीच भी जातिपात, ऊंच-नीच और अलग धार्मिक पंथ की बड़ी-बड़ी खाइयां हैं, जो न केवल मुसलमानों की सामाजिक समरसता को प्रभावित करती हैं, बल्कि सामूहिक रूप से उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आने से रोकती भी हैं। पर यदि मुस्लिम समुदाय व्यापक रूप से जातिपात और धार्मिक पंथ से ऊपर उठकर अपने देश-समुदाय के पक्ष में सोचने हुए अपने मत का सदुपयोग करे, जिसे करने में मुस्लिम मतदाता सजग और समर्थ हैं, तो न सिर्फ भारत के लोकतंत्र अपितु उनकी भी स्थिति बेहतर होगी।



निर्वतमान लोकसभा में अभी केवल 23 सांसद मुस्लिम समुदाय से हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा में यह हिस्सेदारी कुल 4.2 प्रतिशत है। जबकि देश की जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम सांसद सिर्फ सात राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना और एक केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप से चुने गए हैं। इन राज्यों में कुल मुस्लिम जनसंख्या के 46 प्रतिशत लोग रहते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत 22 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों से कोई मुस्लिम प्रतिनिधि चुनकर संसद नहीं पहुंचा है। जबकि इन राज्यों में 54 प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती है। विशेषज्ञों की राय में इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सबसे कम रहेगा क्योंकि विधायिका में उनकी नुमाइंदगी सबसे कम है। हालांकि बहुत सारे लोग केंद्र समेत देश के 14 राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा के बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को इसका कारण बताते हैं। उनका कहना है कि भाजपा की इस तरह की राजनीति ने मुसलमान वोट बैंक की ताकत खत्म कर दी है।

वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दुबे कहते हैं, 'केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद मुसलमानों की राजनीतिक हालत बहुत ही खराब हो गई है। अगर हम पिछले कुछ सालों के चुनाव को देखें तो मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ गई है कि कौन-सी पार्टी सत्ता में आएगी यह तय करने की ताकत उनके वोट बैंक में नहीं रह गई है।' वे आगे कहते हैं, 'मुसलमानों ने भाजपा के खिलाफ 2014 में वोट दिए लेकिन वह सत्ता में आ गई। हाल के उत्तर प्रदेश चुनावों में भी भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तब भी वह जीत गई। मतलब मुसलमानों की राजनीतिक हैसियत में इतनी गिरावट पहले कभी नहीं थी।' पर इसमें कोई दो मत नहीं कि मुसलमानों की राजनीतिक नुमाइंदगी घटने का मतलब है कि हालात और खराब होंगे। समुदाय को पूर्ण रूप से हाशिये पर रहने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर आफताब आलम कहते हैं, 'पहली बात राष्ट्रीय पार्टी भाजपा मुसलमानों को टिकट ही



नहीं दे रही है, जिसका कारण है उनका प्रतिनिधित्व तेजी से गिर रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान हितों की रक्षा के लिए उनका ही प्रतिनिधि विधायिका में होना जरूरी है? क्या सरकार में शामिल लोग उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं? इस पर तमाम मत हैं। वे आगे कहते हैं, 'अगर लोकतंत्र में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो विशिष्ट वर्ग की सरकार बनेगी। अगर सभी वर्गों और समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व रहेगा तो हम कह सकेंगे कि सर्वांगीण सरकार है। फिलहाल जहां तक विधायिका में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व का सवाल है तो इसका परिणाम यह हो रहा है कि सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद वह अलग-थलग होते जा रहा हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।' वरिष्ठ साहित्यकार असगर वजाहत कहते हैं, 'यह बीजेपी की काफी सोची समझी नीति है कि राजनीति की मुख्यधारा से मुसलमानों को हटाओ। इसके चलते धरुवीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि मुसलमानों को अगर सिर्फ मुसलमानों का कुल वोट भी मिल जाए तो वह जीत नहीं सकते हैं। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को यह महसूस करवा दे रहे हैं कि उसकी लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं है।' वे आगे कहते हैं, 'अब जब ये बात मुसलमान समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को समझ में आ जाएगी कि उनकी लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं है तो उसके बाद यह मांग शुरू होगी कि जब वह लोकतंत्र में शामिल नहीं हैं तो किस रूप में उनकी भूमिका होगी। फिर कुछ नए तरह का घटनाक्रम होगा जो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं ही होगा।' वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, 'अगर सहभागिता नहीं होगी तो अलगाव होगा। अगर 18 करोड़ मुसलमान हैं और उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो निसंदेह चिंता करने वाली बात होगी। इसके कारणों पर भी पड़ताल करनी होगी कि कैसे बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। कैसे अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्यधारा से अलग-थलग किया जा रहा है। इस पर सभी को विचार करना होगा। हमारे समाज को, हमारे राजनीतिक दलों। क्योंकि अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में हालात और खराब होंगे।' दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई कहते हैं, 'लोकतंत्र में भागीदारी का मतलब सिर्फ किसी



समुदाय, वर्ग या धर्म को मिलने वाले खास लाभ से नहीं होता है बल्कि यह उस समुदाय की राजनीतिक और सामाजिक स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। हमारे यहां आरक्षण का प्रावधान करते वक्त इस बात का खास ध्यान दिया गया कि सभी समुदायों और वर्गों की हिस्सेदारी बनी रही। वे आगे कहते हैं, 'मुसलमानों का घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व का असर हमें तत्काल तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन लंबे समय में इसका बहुत नुकसान होगा। इसका असर यह होगा कि एक वर्ग हमारी व्यवस्था में पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा।' फिलहाल केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का दावा है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक हितों का खास ख्याल रख रही है। पार्टी नेता इसके लिए 'सबका साथ, सबका विकास' नारे दूसरी ओर मुसलमानों खास कर मुस्लिम युवा वर्ग की आकांक्षाएँ हैं, राजनीतिक रूप से सजग हैं रोजगार की आवश्यकता हैं और उनमें भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की जजबा है। देश में बढ़ रही साम्प्रदायिकता एवं अराजकता पर लगाम लगाने के लिए मिल्ली संस्थानों के साथ साथ मुस्लिम युवाओं को भी चिंतित होने चाहिये ये बातें बिहार मुस्लिम युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो० अबैदुल्लाह ने देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कही। 'उन्होंने कहा कि देश की परिस्थिति से मुस्लिम समुदाय काफी परेशान है परंतु मेरा कहना है कि हालात से परेशान होने के बजाए उस से मुकाबला करना चाहिए क्योंकि ये भारतीय मुसलमानों के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है इस समय मुस्लिम समुदाय को सहनशक्ति का भरपूर प्रदर्शन करना चाहिए।... ऐसे समय में ही आंदोलन जन्म लेती है और लीडरशिप पैदा होती है। इस समय भारतीय मुसलमानों के पास दो रास्ते हैं एक यह कि समुदाय खुद को राजनीति से अलग करले और दूसरा रास्ता यह कि अपने अंदर राजनीतिक शक्ति पैदा करें। उन्होंने कहा कि हमने दलित मुस्लिम और पिछड़े समुदाय को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जन आंदोलन शुरू किया है ताकि साम्प्रदायिकता ताकतों के बढ़ते कदम को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अगर दलित मुस्लिम और पिछड़े एक प्लेट फॉर्म पर आ जाये तो ये देश की जनसंख्या का 48 प्रतिशत होते हैं और ये देश की बड़ी ताकत बन सकते हैं। हमें ये संदेश देना है कि हम ताबेदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं।' बिहार मुस्लिम युवा मोर्चा दलित मुस्लिम



इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए भरपुर कोशिश करेगी और इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और बड़ी संख्यां में लोग जुड़ भी रहे हैं। इस आंदोलन को फैलाने के लिए बहुत जल्द एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी की जा रही है जिसमें दलित नेतृत्व, मुस्लिम नेतृत्व और पिछड़े नेतृत्व को आमंत्रित क्या जाएगा। यह विचार, सोच अथवा जागृति सिर्फ बिहार मुस्लिम युवा मोर्चा के नहीं अपितु समस्थ बिहार के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से तालुल्क रखता है।

ऐसा नहीं कि भारत सरकार मुस्लिमों के प्रति सजग नहीं है। सरकार मुस्लिमों के प्रति हमेशा से सजग रही है और उनके लिए खास कर निम्न व असहायवर्ग के उत्थान हेतु एवं उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। इसका जीता जागता प्रमाण है सच्चर समिति का गठन और उसके अनुशंसा पर मुस्लिम समुदाय के हितों को साधना। रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह से मुसलमान आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सरकारी नौकरियों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। सच्चर कमिटी का अनुशंसा मुसलमानों के विशेषकर युवा वर्ग के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। उनमें जो मुख्यधारा के प्रति शिकायतें एवं असंतोष का भाव उत्पन्न होता है वह बहुत हद तक दूर होगी। इसका दोहरा लाभ देश को मिलेगा। एक तरफ तो उनमें असंतोष व भय का वातावरण दूर होगा और वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ेगें दूसरी ओर देश के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी भूमिका ओर सराहनीय होगी।

#### सहायक स्रोत:—

1. बीबीसी हिन्दी.
2. इंडिया टुडे
3. बिहार मुस्लिम युवा मोर्चा, रिपोर्ट 2017.
4. सच्चर समिति की अनुशंसा रिपोर्ट, 31 दिसम्बर, 2014-